न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 88/2012

1 श्रीमती मनिया पत्नी मालीराम।
2 ओमप्रकाश पुत्र मालीराम।
3 सुदर्शन पुत्र मालीराम।
4 लक्ष्मीनारायण पुत्र मालीराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण पुराने पोस्ट ऑफिस के पास शान्ति मार्ग पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान ककाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनां 05.09.2012 जो प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संख्या 291/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2012

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

–निर्णय–

दिनांकः– 11.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 291/2012 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 1033 व 1036 में से रास्ते की मांग की विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में किसी भी खातेदार काश्तकार का नाम अनावेदक के रूप में दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी नहीं किये गये है, तामीलशुदा नोटिस पत्रावली में नहीं है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार आई एल आर से निचे का अधिकारी मौका रिपोर्ट हेतु अधिकृत नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन क़िया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में किसी भी खातेदार काश्तकार का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

नाम अनावेदक के रूप में दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी नहीं किये गये है, तामीलशुदा नोटिस पत्रावली में नहीं है। धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार आई एल आर से निचे का अधिकारी मौका रिपोर्ट हेतु अधिकृत नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, उभयपक्ष की उपस्थिति में सक्षम स्तर से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर